



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 331/मास्टर प्लान/जोन-3

दिनांक 25-09-2023

"सार्वजनिक सूचना"

एतद द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अभिनव सिन्हा एवं गुरदीप कौर द्वारा खसरा संख्या- 2537, 2539 व 2540 क्षेत्रफल 1520.00 वर्ग मी० ग्राम डासना, गाजियाबाद के ग्रीन बैल्ट/कृषि भू-उपयोग की भूमि पर पेट्रोल पम्प हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद महायोजना-2021 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार ग्राम डासना के खसरा संख्या- 2537 कृषि, 2539 कृषि व 2540 45 मी० चौड़े एन.एच.-24 के मार्गधिकार के उपरान्त 60 मी० चौड़ी ग्रीन बैल्ट के अन्तर्गत आंशिक भाग ग्रीन बैल्ट एवं तदोपरान्त कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। गाजियाबाद महायोजना-2021 की जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत 12 मी० चौड़े विद्यमान पर सशर्त अनुमत्य है एवं ग्रीन बैल्ट भू-उपयोग के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प क्रिया विशेष अनुमति से सशर्त अनुमत्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त के प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।


 उपाध्यक्ष
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण